भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या(2303

दिनांक 03.12.2019/12 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्त र के लिए

सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति

†2303. श्री ए. गणेशमूर्तिः
डॉ. टी. आर. पारिवेन्धरः
श्री के. मुरलीधरनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) अर्थात् असम रायफल्स , सीमासुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) एसआईएसआर , भारतीयतिब्बत सीमा पुलिस बल (आई.टी.बी.पी.) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सभी कार्मिकों हेतु 60 वर्ष की एक समान सेवानिवृत्ति आयु को लागू करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सी.ए.पी.एफ. एक कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु को 57 वर्ष से बढ़ाकर 60-वर्ष तक करने से सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों की नई भर्ती पर किस तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सी.ए.पी.एफ. के अंतर्गत बल-वार कितने कार्मिक कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सी.ए.पी.एफ. से संगठन वार कुल कितने कार्मिक सेवा निवृत्त हुए हैं और उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

उत्त र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): रिट याचिका (सी) सं. 695/2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 04.02.2019 के आदेश के अनुसरण में , गृह मंत्रालय ने दिनांक 19 अगस्त, 2019 के आदेश के तहत सीआरपीएफ , बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित कर दी है , भले वे किसी भी रैंक के हों। गृह मंत्रालय के दिनांक 19 अगस्त, 2019 के आदेश के पहले से ही, सीआईएसएफ और असम राइफल के पैरामिलिटरी कम्पोनेंट के नियमित काडर में उनके रैंक पर ध्यारन दिए बगैर सेवानिवृत्ति की आयु

60 वर्ष थी। इसलिए, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में कार्मिकों की भर्ती पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंईकि जो रिक्तियां सामान्यै सेवानिवृत्ति के फलस्व0रूप उत्परन्न हो सकती थींवे अब उक्तप वर्ष में उत्पेन्नं नहीं होंगी।

(घ): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल के तहत कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या के बल-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

बल	कार्मिकों की संख्या
सीआरपीएफ	3,00,002
बीएसएफ	2,39,084
आईटीबीपी	83,016
सीआईएसएफ	1,42,561
एसएसबी	78,225
असम राइफल्स	60,748
कुल	**9,03,636**

(ड.): विगत तीन वर्षों के दौरान , केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल से सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की कुल संख्या के संगठन-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बल	विगत तीन वर्षों (अर्थात वर्ष 2016 से 2018 तक) के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मियों की संख्या			
	2016	**2017**	**2018**	**कुल**
सीआरपीएफ	4606	6060	4569	15235
बीएसएफ	4149	7208	5143	16500
आईटीबीपी	298	464	535	1297
सीआईएसएफ	1722	1688	1298	4708
एसएसबी	455	669	480	1604
असम राइफल्स	263	721	840	1824
कुल	**11493**	**16810**	**12865**	**41168**

सीएपीएफ कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, उनकी अधिवार्षिता की आयु हो जाने, चिकित्सा कारणों से अयोग्ये ठहराए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण होती हैं।

*****